न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– श्री उगमसिंह राजपुरोहित आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
55/2022	111,128 LRA	08.08.2022	16.02.2023

निरंजन लाल पुत्र केशर जाति माली निवासी शिव कॉलोनी वार्ड नं. 23 चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

–प्रार्थी–

बनाम

1. तारचन्द पुत्र केशर जाति माली निवासी शिव कॉलोली वार्ड नं. 23 चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. राजकुमार पुत्र चन्दा पुत्री केशर जाति माली निवासी शिव कॉलोनी वार्ड नं. 23 चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी प्रार्थी
2. पैरोकार राज.

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कृषि भूमि ख. नं. 2883/1060 तादादी 0.9864 हैक्टेयर रोही कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू के हैं। प्रार्थी स्वयं की एकल खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है प्रमाण स्वरूप जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 शामिल प्रार्थना–पत्र है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की सीमा ज्ञान व पत्थर गढी के लिए यह प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा जिसके साथ उक्त सीमा ज्ञान की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

उक्त कृषि भूमि अपने भाईयों सें बंटवारानामाम के आधार पर आई हुई है जिसका प्रार्थी पुख्ता सीमा ज्ञान करवाना चाहता है जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा क्षतिग्रसत, क्षीण व जर्जर हालत में है जिसमें उक्त सींव स्पष्ट नहीं होने के कारण दोनों पक्षों में झगड़ा फसाद होने की संभावना है। प्रार्थी की सींव को अप्रार्थी काटकर छिन्न भिन्न अस्पष्ट जर्जर हालत कर रहे है इसलिए प्रार्थी के लिए यह जरूरी हो गया कि पुख्ता सीमा ज्ञान व पत्थर गढी करवाई जावे। इसलिए यह उक्त प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी चूरू

प्रार्थी एक सभ्य एवं भोला भाला कृषक है मगर मौके पर प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण के बीच सींव की कृषि भूमि की सीमा नष्ट व जर्जर व क्षीण हालत में है और खेत की सीमा को लेकर हर समय गम्भीर विवाद रहता है इसलिए प्रार्थी के लिए सीमा ज्ञान आवश्यक हो गया है कि खसरा नम्बर 2883/1060 तादादी 0.9864 हैक्टेयर रोही कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.) का सही सीमा ज्ञान करवाकर पुख्ता चिन्ह (पत्थर गढी) लगाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थी को जरूरी हो गया है कि वह अपने खेत का पुख्ता सीमा ज्ञान (पत्थरगढी) करवाना चाहता है जिससे आगे भविष्य में आस–पड़ोसी से कोई भूमि सीमा ज्ञान संबन्धित विवाद न रहे।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अनतर्गत धारा 111, 128 एल.आर.ए. का पेश करने पर प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिसपर अप्रार्थी संख्या 02 ने स्वयं उपस्थित होक अंकित किया कि यदि सीमाज्ञान व पत्थर गढी की जाती है तो कोई आपति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 पर तामील होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

वकील उभयपक्ष की प्रार्थी की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम चूरू पटवार हल्का चूरू के ख.नं. 2883/1060 तादादी 0.9864 हैक्टेयर में प्रार्थी श्री निरंजनलाल पुत्र केशर हिस्सा पूर्ण जाति माली निवासी चूरू खातेदार दर्ज है । उपरोक्त जमाबन्दी के अवलोकन से यह बात स्पष्ट है कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि है तथा नियमानुसार प्रार्थी को सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का अधिकार है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 02 ने अंकित किया है कि यदि पत्थर गढी करवायी जाती है तो हमें कोई आपति नहीं तथा अप्रार्थी संख्या 1 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी । इसलिए प्रथम दृष्टया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। उक्त प्रार्थना पत्र केवल अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने बाबत है जिसको स्वीकार किये जाने से किसी भी पक्षकार को कोई हानि होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के मध्यनजर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिये जाते हैं कि रोही ग्राम चूरू तहसील चूरू के खसरा ख.नं. 2883/1060 तादादी 0.9864 हैक्टेयर एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 के खातेदारी खसरा भूमियों की नपती हेतु प्रार्थीगण से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में केन्द्र बिन्दु कायम करते हुए विधिवत पैमाईश एवं पत्थरगढी करावें।

आदेश आज दिनांक 16.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

(उगमसिंह राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उप खण्ड अधिकारी (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:12 IST
Reason: SelfAttested